

## 6.3 Faculty Empowerment Strategies

**6.3.1 The institution has a performance appraisal system, promotional avenues and effective welfare measures for teaching and non-teaching staff.**

### INDEX

S.N.	Documents	Page No.
1.	Medical Loan for critical illness and accident for Employees	2
2.	Child Care Leave for Women Employees	3
3.	Medical Advance for Employees	4
4.	Leave Encashment against Death/ Retirement for Employees	5
5.	Shramsadhya Allowance for Employees	6
6.	Grain Advance for Employees	7
7.	Fee Concession for Employees & Dependent	8
8.	Teacher's Welfare Regulation	9 - 12
9.	Group Insurance policy	13-24
10.	M.P. Civil Services Leaves & Travel Allowances Rules 1997 - Book Index	25 - 32
11.	Uniform/Winter Uniform for Employees	33 - 35
12.	Day Care Centre	36 - 39
13.	Vaidehi Primary Health Care Centre	39
14.	Women's Studies & Research Centre	40
15.	Gym Facilities for Women	41-42
16.	Sports Facilities	43- 48

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्र./स्था./2021/1527

जबलपुर दिनांक 16/08/2021

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05/07/2021 के पद क्रमांक 07 में निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को गंभीर बीमारी या दुर्घटना आदि के लिये रुपये 1,50,000/- (अंकन एक लाख पचास हजार) मात्र का चिकित्सा ऋण की स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की जाती है। कि गंभीर बीमारी या दुर्घटना संबंधी दस्तावेज विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी या शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात प्रस्तुत किये जायें एवं उपचार किये जाने वाले अस्पताल द्वारा दिये गये व्यय-विवरण भी सत्यापित हों।

उक्त चिकित्सा ऋण, वित्तीय वर्ष में एक बार ही देय होगा। जिसकी कटौती 09% (प्रतिशत) ब्याज सहित आसान किस्त द्वारा मासिक वेतन से की जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

16/08/21

पृ.क्र./स्था./2021/1527/अ

प्रतिशेष सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अज्ञेयित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभाग अधिकारी, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. वेतन प्रकोष्ठ, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. शासकीय अंशोत्तर विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. कुलपति/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. संबंधित गस्ती।

जबलपुर, दिनांक 16/08/2021

सहायक कुलसचिव (स्था.)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर।

राजी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जयलपुर

क्रमांक / स्था0 / 2016 / ...२५९.


जयलपुर, दिनांक: २९/०९/१६.....

आदेश

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग दिल्ली भवन मंत्रालय भोपाल की अधिलेखना संनधि एक6:1/2015नियन/चार भोपाल दिनांक 22/08/2015 को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद को संक 19/02/2016 में अंगीकृत किया जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय की संदर्भ में महिला शासकीय सेवक के समान विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारों द्वारा उनके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उनकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों (जिनको उम्र 18 वर्ष से कम हो) की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिवस की काल अवधि का अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात् :-

- (क) यह एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपयोग किया गया अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा। यह स्वीकृत किया गया अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है एवं बारी की गणना एक निकटवर्ती कैलेंडर वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेंडर वर्ष में अभिप्रेत है। जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।
- (ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा अथवा, विश्व परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उर कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।
- (5) संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश वाले भाग के ठीक पूर्ववर्ती मारा में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- (6) संतानों की देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है।
- (7) इस अवकाश का खाता पृथक से संचालित किया जाएगा तथा संबंधित महिला शासकीय सेवक का सेवापुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी।


आदेशानुसार,

  
 कुलपति  
 राजी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
 जयलपुर  
 दिनांक: २९/०९/१६

पृष्ठ २/२५९/२०१६/२५९  
प्रतिनिधि आचार्यी एवं आचार्यक भारतीवती हेतु आदेशित :-

- 1. जयलपुर-विभागाध्यक्ष
- 2. प्रमुख अधिकारी
- 3. कुलपतिजी/कुलसचिव जी को निधी सहयोग
- 4. वेतन प्रकोष्ठ
- 5. सूचना पटल।
- 6. संबंधित नरती।

राजी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जयलपुर।

  
 उपा कुलपति (सहायक)  
 राजी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
 जयलपुर

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर


क्र./स्था./2021/1546

जबलपुर दिनांक 19/08/2021

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05/07/2021 में पद क्रमांक 06 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम की राशि रूपये 15000/- से बढ़ाकर अब रूपये 50,000/- (अंकन पचास हजार) मान्य किया गया है। यह सुविधा प्रत्येक कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19/08/2021

पृ.क्र./स्था./2021/1546/अ

प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रोचित :-

1. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
2. वेतन प्रकोष्ठ, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. शासकीय अंकेक्षण विभाग, रा.दु.वि.वि. जबलपुर।
4. कुलपति/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. कुलपति/कुलसचिव

  
सहायक कुलसचिव (स्था.)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर।

## रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/स्था0/2021/1075

जबलपुर, दिनांक:- 11/02/21

### आदेश

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग क परिपत्र क्रमांक एक 9-13/17/नियम/वार भागल दिनांक 26/10/2017 के बिन्दु क्रमांक 02 (क) तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 31 की कंडिका 52 के परिपालन में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05/11/2020 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपरान्त दिनांक 1/01/2016 से सातवें वेतनमान के अनुसार अर्जित अवकाश के नगदीकरण के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भुगतान मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेशन नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व में भुगतान राशि को समायोजित करते हुये किया जावेगा।

आदेशानुसार,

प्र.कुलसचिव  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर।

पृ. क्रमांक/स्था0/2021/1075

जबलपुर दिनांक- 11/02/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. संबंधित कर्मचारी।
2. कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक।
3. वित्त नियंत्रक
4. सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा
5. वेतन देयक लिपिक।
6. व्यक्तिगत नरती।

रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहा.कुलसचिव (स्था.)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर।

## श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय, जयलपुर

क्र. / स्था. / 2022 / 2271

जयलपुर दिनांक 31/3/22

### अधिसूचना


विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02/11/2021 में पद क्रमांक 08 में दिये गये निर्णय के परिपालन में समन्वय समिति की 99वीं बैठक दिनांक 25/08/2021 के कार्यद्वारा की अंगीकृत करते हुए परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मचारियों व/अधिकारियों को श्रमसाध्य भत्ता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दर निम्नानुसार है-

प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी	-	रु. 40,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम
तृतीय श्रेणी कर्मचारी	-	रु. 30,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	रु. 25,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम

उपरोक्त पारिश्रमिक भत्ता को दिये जाने हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक होगा-

- परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा संचालन एवं वाहन व्यवस्था, परीक्षा परिणाम, परीक्षा फार्म, डिप्टी माईट्रेन तथा टेब्यूलेशन तैयार करने से संबंधी कार्य शामिल है। परीक्षा एवं गोपनीय विभाग में कार्यरत पूर्णकालिक अधिकारी/कर्मचारियों को ही यह भत्ता देय होगा।
- पूरे एक वित्तीय वर्ष में पदस्थापना होने पर उपर्युक्त पारिश्रमिक भत्ता देय होगा, किन्तु यह भी कि किसी अधिकारी/कर्मचारी की वित्तीय वर्ष के मध्य में पदस्थापना होती है तो पदस्थापना उद्दि की गणना आनुपातिक रूप से की जाकर उक्त भत्ता देय होगा।
- उक्त पारिश्रमिक भत्ता दिये जाने के पश्चात अन्य किसी आधार पर दिये जाना वाला भत्ता (महंगाई भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता को छोड़कर) देय नहीं होगा अर्थात् परीक्षा गोपनीय कार्यों के श्रमसाध्य भत्ते के अलावा अन्य किसी प्रकार के विशेष भत्ते देय नहीं होंगे।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव  
श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जयलपुर

जयलपुर, दिनांक 31/3/22

पृ. क्र. / स्था. / 2022 / 2271 / अ

प्रतिलिपि सूचनाधी पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु अधिसूचना -

- उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, रा.दु.वि.वि., जयलपुर।
- वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जयलपुर।
- वेतन प्रकोष्ठ, रा.दु.वि.वि., जयलपुर।
- शासकीय अकंक्षणा विभाग, रा.दु.वि.वि., जयलपुर।
- मान. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जयलपुर।
- संबंधित नस्ती।

  
सहायक कुलसचिव (र.श.)  
श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जयलपुर।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जयलपुर

जयलपुर, दिनांक 30/8/22

क्रमांक/स्था./2022/28.34

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिपद् की बैठक दिनांक 05/08/2022 के पद क्रमांक 04 में लिचे गये निर्णयानुसार अनाज अग्रिम की राशि रुपये 10.000/- से बढ़ाकर रुपये 15.000/- (अंकत पन्दह हजार) मान्य किया गया है।

अदेशानुसार.

  
कुलसचिव


रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जयलपुर।

जयलपुर, दिनांक 30/8/22

पृ.क्र./स्था./2022/28.34

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि. जयलपुर।
2. वेतन प्रकोष्ठ, रा.दु.वि.वि. जयलपुर।
3. शासकीय अंकेक्षण विभाग, रा.दु.वि.वि. जयलपुर।
4. कुलपति/कुलसचिव जी के निज सहा., रा.दु.वि.वि. जयलपुर।
5. व्यक्तिगत नस्ती।



सहायक कुलसचिव (स्था.)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

जयलपुर।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर  
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक: /स्थापना/2019/...67....



जबलपुर, दिनांक...05/04/19

आदेश

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22/2/2019, एजेन्डा के विंदु क्रमांक 24 (1) के संदर्भ में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तीय तथा सामान्य मद के समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विश्वविद्यालय के समस्त तृतीय, चतुर्थ नियमित/स्थायी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

उक्त छूट शोध उपाधियों (एम.फिल. पी.एच.डी. डी.लिट आदि) में लागू नहीं होगी।

आदेशानुसार,  
  
कुलसचिव 3-10-19

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर।

पृ. क्रमांक: /स्थापना/2019/...67..../अ

जबलपुर, दिनांक...05/4/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 विभाग प्रमुख/अधिकारीगण, रा.दु.वि.वि. जबलपुर।
- 2 कुलपति जी/कुलसचिव के निज सचिव, रा.दु.वि.वि. जबलपुर।
- 3 संबंधित नस्ती।

प्र. / सहा. कुलसचिव (स्था.)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर।



# रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

## संशोधित शिक्षक कल्याण कोष विनियम

अध्याय-1: अ) यह नियम "रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण कोष" कहलाएगा। इस नियम का प्रभाव-क्षेत्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग तक होगा।

ब) यहां शिक्षक से तात्पर्य विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में सेवारत नियमित अध्यापकों से होगा।

अध्याय-2: कोष का उद्देश्य -

अ) ऐसे शिक्षक अथवा उनके आश्रितों की सहायता करना, जिन्हें आपदाग्रस्त होने के कारण सहायता की आवश्यकता हो।

ब) अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं पर शिक्षकों को ऋण प्रदान करना

स) शिक्षक संघों को खेलकूद एवं अन्य गतिवधियों एवं अखिल भारतीय/प्रांतीय अधिवेशन/सेमिनार के जबलपुर नगर में आयोजन हेतु अनुदान देना।

अध्याय-3: समिति की संरचना -

1) अध्यक्ष - कुलपति - पदेन

2) सचिव - कुलसचिव - पदेन

3) कोषाध्यक्ष - वित्त अधिकारी - पदेन

4) सदस्य कुल संख्या - 08

अ) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का अध्यापक मण्डल जबलपुर

ब) शासकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ जबलपुर के अध्यक्ष एवं सचिव पदेन

स) अशासकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ जबलपुर के अध्यक्ष एवं सचिव पदेन सदस्य

द) मेडिकल कॉलेज जबलपुर शिक्षक संघ/कौंसिल के अध्यक्ष पदेन सदस्य

ई) इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर शिक्षक संघ के अध्यक्ष

इस प्रकार इस समिति में कुल 11 (ग्यारह)

अध्याय-4: समिति के कार्य एवं अधिकार -

1) कोष के व्यवस्थित एवं नियमित संचालन का दायित्व इस समिति का होगा।

2) समिति की बैठक प्रति दो माह में होगी जिसमें आर्थिक सहायता/ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा। बैठक के लिए कम से कम 06 सदस्य संख्या आवश्यक होगी जिसमें 03 शिक्षक सदस्य होंगे।

3) सामान्यतः आर्थिक सहायता/ऋण संबंधी आवेदन पत्रों पर बैठक में ही विचार किया जावेगा। किन्तु किसी बीमारी संबंधी अपरिहार्य तात्कालिक सहायता/ऋण के लिए दो भिन्न शिक्षक संघों के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर पर कुलपति राशि स्वीकृत करने हेतु अधिकृत होंगे। इसकी पुष्टि आगामी बैठक में होगी।

4) अध्यक्ष (कुलपति) की सहमति से बैठक आमंत्रित करने की विधिवत कार्यवाही विवरण को परिपूर्ण रखने तथा प्रत्येक बैठक का विवरण सदस्यों को प्रेषित करने का दायित्व सचिव (कुलसचिव) का होगा।

5) आय-व्यय संबंधी विधिवत लेखा तैयार करने का दायित्व कोषाध्यक्ष (वित्त अधिकारी) का होगा। वह सत्र के अंत में 31 मार्च तक कोष के आय-व्यय का विस्तृत एवं परिपूर्ण लेखा तैयार कर समिति के समक्ष अप्रैल माह में प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक होने पर समिति इसके परीक्षण हेतु निर्देशित कर सकती है।

अध्याय-5: कोष का उपयोग, आर्थिक सहायक एवं ऋण संबंधी नियम -

किसी भी स्थिति में निर्धारित निम्न उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य के लिए इस कोष की राशि का उपयोग नहीं किया जावेगा। निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त कोष की राशि का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करने का अधिकार किसी व्यक्ति/समिति को नहीं होगा। अध्याय-2 दो में निर्दिष्ट कोष के उद्देश्यों के अनुरूप निम्न स्थितियों में ही कोष की राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

- अ) यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका की मृत्यु उसके सेवाकाल में हो जाती है तो उसके आश्रित व्यक्तियों के सहायतार्थ आवेदन पर सहायता राशि 50,000/- रुपये देय होगी।
- ब) शिक्षक/शिक्षिका की दीर्घकालीन असाध्य बीमारियों में यथा पक्षाघात, कैंसर, विक्षिप्तता, किडनी आदि उपचारों हेतु ऋण प्राप्त हो सकेगा। यह ऋण राशि 50,000/- रुपये तक प्रदान की जा सकेगी। इस ऋण को प्राप्त करने के लिए आवेदक को डॉक्टर का प्रमाण-पत्र देना होगा। जिसमें बीमारी को किसी विशेष अस्पताल में ले जाने की अनुशंसा हो। देय राशि की वसूली अधिकतम 36 किस्तों में की जावेगी।
- स) यदि उक्त असाध्य बीमारी से शिक्षक/शिक्षिका की मृत्यु हो जाती है तो उक्त ऋण को सहायता मान लिया जावेगा। इसे किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लिया जावेगा।
- द) यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के आश्रित असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तो उनके उपचारार्थ भी आवेदन पर ऋण दिया जा सकता है। किसी भी स्थिति में यह ऋण 20,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि बीमारी की हालत में आश्रित की मृत्यु हो जाती है तो यह ऋण सहायता के रूप में परिवर्तित हो जावेगी।
- उपर्युक्त मद में शिक्षक को शासन अथवा विश्वविद्यालय से एक ही स्रोत से ऋण प्राप्त हो सकेगा।
- ई) तीनो क्षेत्रीय इकाइयों विश्वविद्यालय, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकों की सम्मिलित खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन हेतु अधिकतम 10,000/- रुपये का अनुदान दिया जा सकेगा। यह राशि तीनों संघों द्वारा निर्मित समिति को प्रदान की जावेगी।
- फ) शिक्षक संघों के अखिल भारतीय/प्रांतीय अधिवेशन/सेमिनार जबलपुर नगर में आयोजन हेतु अधिकतम 25,000/- रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

नोट- उपरोक्त कंडिकाओं में सत्यता के प्रमाणीकरण प्राप्त करने के अधिकार समिति को प्राप्त होंगे। सहायता के प्रस्थापन हेतु समिति द्वारा मांगे गये पत्र आदि संबंधितों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अध्याय-6: कोष के आर्थिक स्रोत -

- 1) शिक्षकों के स्थायी परीक्षा पारिश्रमिक से चार प्रतिशत की कटौती की राशि कोष में जमा होगी।
- 2) शिक्षकों की निर्धारित सीमा से अधिक परीक्षा पारिश्रमिक राशि हो जाने पर अतिरिक्त राशि कोष के खाते में जमा होगी।
- 3) व्यक्तिगत अथवा संस्थागत प्राप्त अनुदान की राशि इस कोष में जमा की जा सकेगी।
- 4) समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्रोतों द्वारा प्राप्त राशि यथा--

अध्याय-7: अन्य नियम -

- 1) शिक्षक कल्याण कोष का खाता विश्वविद्यालय के अधिसूचित बैंक में बचत खाता में अलग से रखा जावेगा।
- 2) प्रतिवर्ष प्राप्त राशि का एक तिहाई भाग सावधि जमा राशि के रूप में बैंक में रखा जावेगा।
- 3) ऋण/सहायता स्वीकार करने हेतु बीमारी की स्थितियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। इसके पश्चात् ही कोष की आर्थिक स्थिति के आधार पर अन्य आवेदनों पर विचार किया जा सकेगा।

- 4) ऋण/सहायता राशि सन्पूर्ण सेवाकाल में संबंधित व्यक्ति/शिक्षक संघ को एक ही बार प्रदान की जा सकेगी। इस आशय का प्रमाणोकरण आवेदनकर्ता को अपने आवेदन पत्र में देना होगा।

अध्याय-8: सहायता/ऋण प्राप्त करने की -

- 1) शिक्षक कल्याण कोष से केवल वही शिक्षक सहायता/ऋण प्राप्त कर सकेगा जो विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में कम से कम दो सत्र तक पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके होंगे।  
टिप्पणी:- पांच वर्ष शिक्षण कार्य की अनिवार्यता उस शिक्षक/शिक्षिका पर नहीं होगी जो दिवंगत हो चुके हैं और उनके आश्रितों द्वारा सहायता की मांग की गई है।
- 2) ऋण के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा मान्य सिक्योरिटी बॉण्ड भरना होगा सहायतार्थ आवेदन के लिये सिक्योरिटी बॉण्ड आवश्यक नहीं होगा।
- 3) ऋण तभी दिया जावेगा, जब आवेदक उस संस्था, जहां वह कार्यरत है के प्रमुख का यह पत्र संलग्न करेगा कि उसके वेतन से काटकर मासिक किस्तें विश्वविद्यालय में जमा की जावेगी।
- 4) ऋण राशि अधिकतम 36 किस्तों में वापिस की जावेगी।  
क) ऋण की स्विकृति राशि का भुगतान शिक्षकों को उनके संस्था के प्रमुख के माध्यम से ही दिया जावेगा।  
ख) ऋण की स्विकृति प्रतिलिपि संबंधित संस्था के प्रमुख को भेजी जायेगी।  
ग) जिस माह में ऋण राशि का वितरण हो उसके अगले माह में संबंधित शिक्षक किस्त का भुगतान आरंभ करेगा।
- 5) ऋण पर 2% की दर से ब्याज देय होगी जो प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य वर्ष की गणना शेष राशि से बाद में की जावेगी।
- 6) ऋण राशि पर ब्याज का हिसाब लगाकर उसे मासिक किस्तों में संतान रूप से विभाजित कर मूल ऋण के साथ ही वापिस किया जावेगा। यह हिसाब लगाकर किस्त की पूर्ण राशि मूल-ब्याज विश्वविद्यालय ऋण प्राप्तकर्ता को बताएगा।

अध्याय-9: ऋण वापिसी -

- 1) ऋण की तीन किस्तें जमा न करने पर विश्वविद्यालय कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित व्यक्ति को 15 दिनों की अवधि में किस्तें जमा करने का नोटिस दिया जावेगा! ...
- 2) ऋण की पांच किस्तें जमा न करने पर प्रकरण शिक्षक कल्याण कोष समिति को सौंप दिया जावेगा। समिति को अधिकार होगा कि उस व्यक्ति की ऋण की पात्रता समाप्त कर शेष ऋण एक साथ वसूल करने का निर्णय ले अथवा उसे समझाकर भविष्य में किस्तें जमा करते रहने का कड़ा अनुदेश दे। किन्तु दोबारा पांच किस्तें जमा न करने पर उसे क्षमा नहीं किया जावेगा और शेष पूर्ण राशि एक साथ वसूल की जावेगी।
- 3) यदि उक्त निर्देशों के पश्चात् भी ऋण राशि जमा नहीं की जाती तो संबंधित शिक्षक के प्राप्त पारिश्रमिक देयक से राशि की कटौती कर ली जावेगी।
- 4) ऋण राशि वापिस करने के लिये संबंधित व्यक्ति को एक माह का नोटिस दिया जावेगा। जिसकी प्रतियां उसकी संस्था प्रमुख और शासन को भी दी जावेगी।
- 5) संबंधित द्वारा ऋण जमा न किये जाने पर समिति प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

दिनांक 29/3/2011 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक का कार्यवृत्त-

9. समिति द्वारा किये गये संशोधित शिक्षक कल्याण कोष विनियम पर विचार ।  
निर्णय - विचारोपरांत शिक्षक कल्याण कोष विनियम को मान्य किया गया ।

आगामी कार्यवाही हेतु लेखा विभाग  
पुनर्विचार हेतु  
लक्ष्मण का (कमल)  
8/4/11

2. MASTER POLICY NO:- GSLI/60529

3. (i) NUMBER OF MAMBERS AS ON

465



भारतीय जीवन बीमा निगम  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पेंशन एवं समूह बीमा इकाई  
Pension and Group Schemes Unit

0045982

पे.एवं. स.बी. इकाई क.- P & GS Unit Code :

तिथि - Date :

रसीद क्रमांक - Receipt No. 7/G304

समय - Time 20/04/2023

182

11:22:35

G304, P & GS UNIT, JABALPUR

JEEVAN PRAKASH

MADAN MAHAL

P&GS Deptt

JABALPUR

482001

निम्नलिखित के लिए सधन्यवाद प्राप्त

Received with thanks

DEPOSIT MEMORANDUM

से

Towards the following

77530.00

द्वारा  
By  
CHEQUE

No of Insts

1

RANI DURGAWATI UNIVERSITY  
Policy No :- GSLI -- 60529  
Being the amount held in Deposit for the above Policy  
( Seventy Seven Thousand Five Hundred Thirty Only )  
RANI DURGAWATI UNIVERSITY  
RANI DURGAWATI VISHWA  
VIDYALAYA JABALPUR  
JABALPUR JABALPUR

चेक द्वारा भुगतान होने पर जारी की गयी रसीद चेक की रकम मिलने पर वैध होगी।

Receipt of payment made by cheque is issued (Institution shall only be provided effective subject to realisation of cheque from the date of acceptance of risk)

PAYMENT UNDER YOUR POLICY, PLEASE SUBMIT NEFT MANDATE FORM. THIS IS MANDATORY

Details of Cheques Received (Subject To Realisation)  
21777510/04/2023 Indian Bank JBP 77530.00

**LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA**  
**DIVISION OFFICE, JABALPUR**

RULES: GSLI FORM II

GROUP SAVING LIMITED INSURANCE SCHEME

PARTICULARS OF CONTRIBUTION FOR THEM MONTH OF APRIL - 2023

1. NAME OF THE INSTITUTION: - RANI DURGAWATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR

2. MASTER POLICY NO:- GSLI/60529

3.	(i) NUMBER OF MAMBERS AS ON THE FIRST DAY OF PREVIOUS MONTH	465
	(ii) NO.OF NEW MEMBERS WHO BECOME ELIGIBLE TO JOIN THE SCHEME DURING THE PREVIOUS MONTH	NIL
(iii)	TOTAL NUMBER	465
(iv)	EXITS DURING PREVIOUS MONTHS	NIL
	(a) BY DEATH	NIL
	(b) BY RETIREMENT/ATTENDING MAXIMUM AGE	NIL
	(c) REGISTRATION TERMINATION ETC.	NIL
	(d) LEFT UNIVERSITY ( Transfer )	NIL
	(e) ADDED OLD MEMBERS	465
(f)	TOTAL EXISTS	
(v)	TOTAL NUMBER AS ON FIRST DAY OF THE CURRENT MONTH - BY RETD. CALSS I/II CALSS III/IV DEATH - CALSS I/II CALSS III/IV	

4. MONTHLY CONTRIBUTION PER MEMBER

400X32	12,800
280 X47	13,160
200 X153	30,600
90 X233	20,970

Grand Total 77,530/-

A cheque No. 217775, dated -10/04/2023, Rs 77,530=00 ( SEVENTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY ONLY ) being enclosed herewith on account of deduction of GSLI for the month of APRIL - 2023.

Enclosed: List one Jabalpur,

वित्त नियंत्रक  
FINANCE CONTROLLER,  
RANI DURGAWATI VISHWAVIDYALAYA,  
जबलपुर, JABALPUR.

o/c


(Signature)


**RANI DURGA VATI VISHWA VIDYALAYA JABALPUR**  
**AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS I/II EMPLOYEE**  
**FOR THE MONTH OF APRIL - 2023**  
**POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988**

SNO.	CODE	NAME	AMT-2
1	32	DR. R.P.MISHRA	400
2	39	DR. S.C.SHARMA	400
3	44	DR.VIVEK MISHRA	400
4	50	DR. S.K.CHOUBEY	400
5	52	DR. N.G.PENDSE	400
6	65	DR. D.N.SHUKLA	400
7	66	DR. P.V.SHUKLA	400
8	89	DR. SMT.M.DUBEY	400
9	101	DR.S.N.BAGCHI	400
10	102	DR. A.K.PANDEY	400
11	103	DR. S.S.SANDHU	400
12	104	DR. R.P.MISHRA	400
13	114	DR. RAKESH BAJPAI	400
14	115	DR. P.K.KHARE	400
15	117	DR. ALKA NAYAK	400
16	128	DR. B.K.TIWARI	400
17	130	DR. SMT. DIVYA BAGCHI	400
18	131	DR. S.SINGH	400
19	145	DR. S.S.PANDEY	400
20	179	DR. J.K.MAITRA	400
21	183	SHRI Y.S. PATEL	400
22	185	SHRI RAVINDRA KAKORIA	400
23	188	DR. DIVYA CHANSORIYA	400
24	189	SHRI DHIRENDRA PATHAK	400
25	190	SHRI VISHAL OM PRAKASH BANNE	400
26	191	ASHISH SHARMA	400
27	193	SMT.MAMTA RAO	400
28	197	DR. Smt. RAJEESHWARI RANA	400
29	199	NITIN SANGLE	400
30	200	RAVI SHANKAR SONWAL	400
31	201	KU. SUSHMA SHIYAM	400
32	106	SMT. SUNITA DEODI	400
		<b>GRAND TOTEL</b>	<b>12,800</b>

TOTEL OF CLASS I&II	12,800/-
TOTEL OF CLASS III&IV	64,730/-
GRAND TOTEL	77,530/-

**SEVENTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDERD THIRTY ONLY**

  
 वित्त नियंत्रक  
 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
 जबलपुर (म. प्र.)

d/c 

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
1	2	SMT. BINDU YADAV			
2	4	PURSHOTTAM CHOUDHARY	0	200	0
3	5	ANAND SINGH	0	200	0
4	14	PRADEEP KUMAR SHUKLA	90	0	0
5	26	RAJESH KUMAR SHRIVASTAV	0	200	0
6	33	RAJESH KUMAR GUPTA	0	200	0
7	54	R.P. KORI	0	0	280
8	57	JAYDEEP PANDEY	0	0	280
9	61	KULDEEP PATARIA	0	200	0
10	63	BALDEV SHABA	0	0	280
11	65	A.K. JHARIYA	90	0	0
12	66	P.K. SHRIVASTAVA	0	0	280
13	67	S.K. SHRIVASTAVA	0	0	280
14	89	RAJ KUMAR TIWARI	0	0	280
15	97	M.L. RAIKWAR	0	0	280
16	98	SMT. RASHMI PATEL	0	0	280
17	102	SHAIENDRA KUMAR TIWARI	0	0	280
18	108	PAVAN KUMAR YADAV	90	0	0
19	116	O.P. DUMAR	0	200	0
20	122	BIRENDRA KUMAR TIWARI	0	0	280
21	123	RAJU SINGH	0	200	0
22	170	KESAR LAL	90	0	0
23	183	KESHAV PRASAD	90	0	0
24	186	SMT. VIMLA BAI	90	0	0
25	188	SMT. RANI BAI PATHAK	90	0	0
26	196	G.P. KORI	90	0	0
27	216	SATISH KUMAR SHRIVASTAVA	0	0	280
28	222	A.K. VERMA	0	200	0
29	224	SMT. SHEELA NAIR	0	0	280
30	229	ABHIJEET TIWARI	0	200	0
31	235	SMT. SARLA GOUTAM	0	200	0
32	254	SMT. KALAVATI DUBEY	0	200	0
33	269	S.A. ANSARI	90	0	0
34	273	B.P. DIXIT	0	0	280
35	277	NEELES KUMAR JAIN	0	0	280
36	278	GOPAL SHARAN DUBEY	0	200	0
37	295	UDAY BELAPURKAR	0	200	0
38	303	N.K. BAJPAYEE	90	0	0
39	306	P.K. MOR	0	0	280
40	311	SUSHIL KUMAR MISHRA	0	0	280
41	315	KAMLESH KUMAR PATEL	0	0	280
42	329	RAVI SHANKER TIWARI	0	200	0
43	332	R.B. SINGH	90	0	0
44	335	SMT. S.L. SWAMY	0	0	280
45	336	A.K. THAKUR	0	200	0
46	337	DILIP KUMAR KOSTA	0	200	0
47	338	K.K. DIXIT	0	0	280
48	344	R.S. THAKUR	0	200	0
49	347	R.D. PATEL	0	200	0
50	348	K.K. KOSHTA	0	200	0
51	350	V.K. KARKARE	0	200	0



AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
52	351	ANAND PRASAD PANDEY	0	200	0
53	352	R.S. SHARMA	0	200	0
54	353	SUNIL KUMAR MISHRA	0	200	0
55	354	SATYENDRA KUMAR MISHRA	0	200	0
56	355	ASHOK KUMAR TIWARI	0	200	0
57	358	ANSAR ALI	90	0	0
58	360	S.K. SHRIVASTAVA	0	200	0
59	362	R.N. DWIVEDI	90	0	0
60	363	SMT. RASALAT BEE	90	0	0
61	365	S.P. YADAV	0	200	0
62	366	N.K. YADAV	0	200	0
63	369	V.S. TIWARI	0	200	0
64	373	HIMANSHU GOSWAMI	90	0	0
65	375	RAM LAL SHARMA	90	0	0
66	376	DIWAKAR MEMNE	0	200	0
67	377	N.P. SAHU	90	0	0
68	380	SMT. SAVITA MISHRA	0	0	280
69	381	B.P. NAT	0	0	280
70	383	SMT. TARA BAI	90	0	0
71	384	L.P. GOND	90	0	0
72	389	A.S.RATHORE	0	200	0
73	390	HEERA LAL BHARTI	90	0	0
74	391	VINOD KUMAR AGRAWAL	0	200	0
75	395	PREM PRAKASH PUROHIT	0	200	0
76	396	RAJENDRA DUBEY 30/04/2023 21st fig	0	200	0
77	399	RAJU SHEGOKAR	0	0	280
78	401	MANI RAM DAHAYAT	90	0	0
79	402	SOBH NATH RAIDAS	90	0	0
80	404	K.P. RAIDAS	90	0	0
81	406	LALLU PRASAD	90	0	0
82	407	BAISHAKHU	0	200	0
83	408	SURENDRA KUMAR	90	0	0
84	409	DHANIRAM	90	0	0
85	412	MUKESH CHAND	0	0	280
86	413	ARJUN SINGH	90	0	0
87	417	R.A. GOND	90	0	0
88	418	V.P. GOND	90	0	0
89	420	MADAN LAL	90	0	0
90	421	KHONDAM KUMAR 15/2/2023	90	0	0
91	426	RAMESH KUMAR	90	0	0
92	430	PREM CHAND	90	0	0
93	432	SMT. SARSWATI BAI	90	0	0
94	434	DURGESH KUMAR CHOUBEY	0	200	0
95	435	T.L.BURMAN	0	200	0
96	440	R.M.DAHAYAT	90	0	0
97	441	S.C.SONDHIYA	0	0	280
98	442	R.K.GOND	0	0	280
99	443	SUNIL KUMAR		200	0
100	448	SHIV KUMAR	90	0	0
101	450	K.C.KUMHAR	90	0	0
102	451	SURENDRA KUMAR KEVAT	90	0	0

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
103	452	J.P.KEVAT	0	200	0
104	453	GAJENDRA SINGH	0	0	280
105	455	K.K.DALAL	0	0	280
106	456	SMT. VINITA TIWARI	0	0	280
107	457	J.W.SHAREEF	0	0	280
108	458	VINAY KUMAR TIWARI	0	0	280
109	459	SMT. NIDHI SAXENA	0	0	280
110	460	J.K.TIWARI	0	200	0
111	461	AJAY KUMAR GUPTA	0	0	280
112	462	A.K.TIWARI	0	0	280
113	465	N.K.DUBEY	0	0	280
114	466	SMT. BHARTI VERMA	0	200	0
115	468	SHANKAR LAL	0	200	0
116	470	RAM KUMAR GUPTA	0	0	280
117	471	RAJENDRA DUBEY	0	0	280
118	474	AMRENDRA PAL	0	0	280
119	476	RAM PRATAP VERMA	0	200	0
120	480	RAKESH KUMAR CHOUBEY	0	200	0
121	481	RAM PHAL SHARMA	0	200	0
122	482	IMTIYAZ AHMED	90	0	0
123	484	ANIL USRETE	90	0	0
124	490	RAVINDRA KUMAR DUBEY	90	0	0
125	491	PRAMOD KUMAR SHUKLA	90	0	0
126	492	VANSH BAHOR	0	200	0
127	494	SMT. PHOOLMATI PATHAK	90	0	0
128	496	SANTOSH SINGH THAKUR	0	200	0
129	499	RAJ KUMAR YADAV	90	0	0
130	500	LALJI USRETE	0	200	0
131	502	BHAKTRAJ	90	0	0
132	503	SMT. KANTI BAI USRETE	90	0	0
133	504	PRAKASH CHANDRA SEN	90	0	0
134	505	SURYA PAL SINGH	90	0	0
135	507	ASHOK KUMAR YADAV	90	0	0
136	508	KRISHAN KUMAR SONI	90	0	0
137	509	MANOJ KUMAR YADAV	90	0	0
138	510	R.K.SHRIVASTAVA	0	200	0
139	511	RAMA KANT TIWARI	0	200	0
140	514	VINOD JAROLIYA	0	0	280
141	515	VIRENDRA SINGH PATEL	0	200	0
142	516	MANISH JAIN	0	0	280
143	517	DASRATH PRASAE PRINZE	0	0	280
144	518	SMT P.SINGH SOLANKI	0	200	0
145	520	GHANENDRA RAO	0	200	0
146	521	ANIL KUMAR DHANGHARH	0	200	0
147	525	SMT. DURGA PADMANGE	0	200	0
148	527	RAM LAL	90	0	0
149	528	INDRA NARAYAN	90	0	0
150	529	CHANDRMA TIWARI	90	0	0
151	532	AJIT SINGH	0	200	0
152	533	SMT. SHUDHA AVASTHI	90	0	0
153	535	SATISH THAKUR	0	200	0

*R*

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
154	536	RAGHVENDRA MISHRA	0	200	0
155	537	RAJENDRA YADAV	90	0	0
156	538	UDAL PRASAD	90	0	0
157	539	RAJESH KUMAR RAIKVAR	90	0	0
158	540	SMT. PRAPTI JAIN	0	200	0
159	541	SMT. SHARDA LINGAM	90	0	0
160	542	MONU CHOUHAN	90	0	0
161	544	BRIJENDRA YADAV	0	200	0
162	546	SMT. FULVA BAI	90	0	0
163	548	NARMADA PRASAD	90	0	0
164	549	DR. PRANAV SINGH	0	0	280
165	551	VIJAY SINGH MAURYA	0	0	280
166	552	AJAY SINGH	0	0	280
167	553	OM PRAKASH YADAV		200	0
168	554	MAHESHWAR PRASAD SINGH	0	200	0
169	555	PAPPU AHIRWAL	0	200	0
170	556	KAMAL KUMAR BAIGA	0	200	0
171	557	PUSHPENDRA SINGH BAIGA	90	0	0
172	559	SMT. VIJYA CHOUDHARY	0	200	0
173	560	SMT. PANCHI BAIGA	90	0	0
174	561	SMT. SUNITA BAIGA	90	0	0
175	562	SHAMAY LAL SAKET		200	0
176	563	KU. SINDHYA BHARTIYA	90	0	0
177	564	SANJEEV AHIRWAR	90	0	0
178	565	SWAMIDEEN BAIGA	90	0	0
179	566	SHIVKUMAR CHOUDHARY	90	0	0
180	568	KU. ASHA PARASTE	90	0	0
181	570	RISHI BURMAN	90	0	0
182	571	SOURABH SONI	0	200	0
183	574	SANJAY YADAV	0	200	0
184	575	SATISH KUAMR KHAMPARIA	0	200	0
185	576	KRISHNA KUMAR PATHAK	0	200	0
186	577	NEERAJ PANDEY	0	200	0
187	578	SHRISH DUBEY	0	200	0
188	580	RAMESH SHRIVAS	0	200	0
189	582	GANESH DATT CHATUREVEDI	0	200	0
190	583	SANJAY KUMAR VISHWAKARMA	0	200	0
191	584	SHASHI KANT BAJPAI	0	200	0
192	586	VIJAY SINGH RATHORE	0	200	0
193	588	HRADYESH KUMAR SHUKLA	0	200	0
194	589	DHARMENDRA PRASAD SHARMA	0	200	0
195	590	SURENDRA NATH JADIA	0	200	0
196	591	SMT. USHA TRIPATHI	0	200	0
197	592	SMT. MAMTA KEWAT	0	200	0
198	593	KRISHNA KANT DUBEY	0	200	0
199	594	DEEPAK KUMAR SHRIVASTAVA	0	200	0
200	595	DR. SHASHIKALA PANDEY	0	200	0
201	596	HAREKRISHNA PANDEY	0	200	0
202	597	MANISH KUMAR RAIKWAR	0	200	0
203	598	MO. RASHID	0	200	0
204	599	ABHAY KUMAR SINGH	0	200	0

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
205	600	JITENDRA KUMAR PANDEY	0	200	0
206	601	SANTOSH KUMAR SHRIVAS	0	200	0
207	602	RAMAKANT SHUKLA	0	200	0
208	603	SUNIL KUMAR MISHRA	0	200	0
209	604	MUKESH KUMAR GOSWAMI	0	200	0
210	606	MAHESH KUMAR TIWARI	0	200	0
211	607	SMT. SEEMA SINGH	0	200	0
212	608	SMT. GEETA BEN	0	200	0
213	609	AKHILESH DIXIT	0	200	0
214	610	OM PRAKASH MISHRA	0	200	0
215	611	SMT. ASHA BAI MATOO	0	200	0
216	612	RAVINDRA SINGH	0	200	0
217	614	SUKHDIN KUMAR KATARE	0	200	0
218	615	PREMLAL	0	200	0
219	616	JAMNA MISHRA	90	0	0
220	618	D.K. PANDEY	0	200	0
221	619	SMT. SANDHYA SHRIVASTAVA	90	0	0
222	621	SMT. SANTOSH YADAV	90	0	0
223	622	MANOJ KUMAR TIWARI	90	0	0
224	623	RAJNI SHARMA	0	0	280
225	624	SHARAD KHARE	0	200	0
226	625	BHUPENDRA UPADHYAYA	0	200	0
227	626	DILIP KUMAR MISHRA	0	200	0
228	627	ALOK PATHAK	0	200	0
229	628	DEVENDRA KUAMR SHARMA	90	0	0
230	629	BATULAL	90	0	0
231	632	SUMER CHANDRA SONDHIYA	90	0	0
232	634	MADAN LAL RAIKWAR	90	0	0
233	637	NARENDRA KUMAR TIWARI	90	0	0
234	638	JAMIL AHMED ANSARI	90	0	0
235	639	SUBBA RAO	90	0	0
236	640	SANTOSH KUSHWAHA	90	0	0
237	641	BHAIYALAL GOND	90	0	0
238	642	VIJAY SAMUEL	90	0	0
239	643	LAKHAN SINGH MARAVI	90	0	0
240	646	RAKESH KUMAR S/O SHARDA	90	0	0
241	648	D. MANIK RAO	90	0	0
242	649	RAJENDRA PRAJAPATI	90	0	0
243	650	SANJAY KUMAR CHOURASIA	90	0	0
244	652	ARUN KUMAR TIWARI	90	0	0
245	653	AWADHESH SINGH YADAV	90	0	0
246	654	BAL KISHAN KOSTA	90	0	0
247	656	MAHENDRA LAL SHRIVASTAVA	0	200	0
248	657	RAVI KAUSHIK	0	200	0
249	658	SMT. SHEELA SAMUNDRA	90	0	0
250	659	RANBAHADUR KSHETRIVA	90	0	0
251	660	DILIP KUMAR MISHRA	90	0	0
252	662	KISHAN KEVAT	90	0	0
253	663	PANCHAM LAL DAHAIYA	90	0	0
254	664	RAM SAJIVAN SONDHIYA	90	0	0
255	665	MAHESH KUMAR IMLAHA	90	0	0

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
256	666	GULAB KORI	90	0	0
257	668	BIRENDRA KUMAR VERMA	90	0	0
258	669	RAJ BAHOR VARMA	90	0	0
259	670	SMT. MEERA BAI RAIKWAR	90	0	0
260	671	SMT. PUSHPA BAI RAJAK	90	0	0
261	672	SMT. PUSHPA BAI SHRIVAS	90	0	0
262	673	BRIJESH KUMAR TIWARI	90	0	0
263	674	MANOJ KUMAR THAKUR	90	0	0
264	677	RAMBAHADUR THAPA	90	0	0
265	678	CHANDRAMANI SHRIVAS	90	0	0
266	679	RAMNERESH KUSHWAHA	90	0	0
267	681	ARVIND YADAV	90	0	0
268	682	AJAD AHMED	90	0	0
269	683	PRAKESH CHOUBEY	90	0	0
270	684	HRIDESH KUMAR PAROCHI	90	0	0
271	685	KISHORE KUMAR MEHROLIYA	90	0	0
272	686	RAKESH KUMAR CHOUHAN	90	0	0
273	687	SANTOSH SONDHIYA	90	0	0
274	689	RAJESH KUMAR PAROCHI	90	0	0
275	690	SMT. PRAMILA BAI UIKEY	90	0	0
276	691	JAGDISH PRASAD	90	0	0
277	692	DROP SINGH GOUD	90	0	0
278	693	RAM SINGH KEVAT	90	0	0
279	694	SANJAY SONDHIYA	90	0	0
280	695	SIDDHARTH SUNNY	0	200	0
281	696	SMT. SUNITA SINGH	90	0	0
282	700	SUNIL KUMAR CHOUDHARY	0	200	0
283	701	KU. REKHA	0	200	0
284	702	SMT. ANITA SHRIVAS	0	200	0
285	703	RAVISHANKER AHIRWAR	0	200	0
286	705	MAHENDRA KUMAR RAINA	0	200	0
287	706	BRIJESH KUMAR GUMASTA	0	200	0
288	707	SUNIL RAJ	0	200	0
289	708	SMT. KALPANA PASI	0	200	0
290	709	KU. SEEMA WASNIK	0	200	0
291	711	SAMAYLAL S/O RAMPATI SK	0	200	0
292	712	BHAVAR SINGH KARCHAM	0	200	0
293	713	ARUN KUMAR GHORMARE	0	200	0
294	714	RAJESH KUMAR MARAVI	0	200	0
295	715	MANGU SINGH MARKAM	0	200	0
296	717	VIKRAM SINGH UIKEY	0	200	0
297	718	RAVIKANT DHURVEY	0	200	0
298	719	KU. KAMLESHWARI THAKUR	0	200	0
299	720	SMT. NEETU DHURVEY	0	200	0
300	721	SMT. PARVATI RASIYA	0	200	0
301	722	SMT. DARSHANA DHURVEY	0	200	0
302	723	KU. BEAUTY SONKAR	90	0	0
303	724	CHAKRASH AHIRWAR	90	0	0
304	725	SUKRATLAL BHARTIYA	90	0	0
305	727	SURESH PAHADE	90	0	0
306	729	DHANUSH KUMAR PARASTE	90	0	0

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
307	730	ARUN BAIGA	90	0	0
308	731	VIPIN BIRLA	90	0	0
309	732	SHRILAL BAIGA	90	0	0
310	734	SMT.MAMTA BAIGA	90	0	0
311	735	AMIT KUMAR KORI	90	0	0
312	736	JAGESH AHIRWAR	90	0	0
313	737	MANOJ BAIGA	90	0	0
314	738	DEEPAK KUMAR NAHIR	90	0	0
315	739	RAMKARAN BAIGA	90	0	0
316	740	DINBANDHU BAIGA	90	0	0
317	741	SHARAD KUMAR MARAVI	90	0	0
318	743	RAJENDRA KUMAR DHURVEY	90	0	0
319	744	AJAY BAIGA	90	0	0
320	745	JEEVAN RAM BAIGA	90	0	0
321	746	SMT. PARVATI BAIGA	90	0	0
322	747	SUMANTRI BHARTIYA	90	0	0
323	751	RAMPRASAD	90	0	0
324	754	VIPUL CHAND TIWARI	0	200	0
325	755	ANIL BAHUBALI JAIN	0	200	0
326	756	AVINASH PATHAK	0	200	0
327	757	SUNIL DATT DUBEY	0	200	0
328	758	MOHAN LAL DUBEY	0	200	0
329	759	SMT. INDRA BARMAN	0	200	0
330	760	RAMESH TIWARI	0	200	0
331	761	RAGHWENDRA SHRIVASTAVA	0	200	0
332	762	MANOJ SINGH	0	200	0
333	763	PARVEEN DUBEY	0	200	0
334	764	SIDHMUNI PATHAK	0	200	0
335	765	PANKAJ PANI PANDEY	0	200	0
336	766	SUSHIL KHAMPARIYA	0	200	0
337	767	SHRIKANT GAUTAM	0	200	0
338	768	SANTOSH KUMAR PANDEY	0	200	0
339	769	AJAY YADAV	0	200	0
340	770	SANJAY KUMAR MISHRA	0	200	0
341	771	RAJNISH KUMAR PANDEY	0	200	0
342	772	RADHESHYAM YADAV	90	0	0
343	773	SANTOSH PANDEY	90	0	0
344	774	MOHD. ROSHAN KHAN	90	0	0
345	775	RAJESH SEN	90	0	0
346	776	ASWANI DUBEY	90	0	0
347	777	RAJENDRA SHUKLA	90	0	0
348	778	SMT. KAMLA BAI	90	0	0
349	779	AVDESH SHARMA	90	0	0
350	780	RAJSHARAN PANDEY	90	0	0
351	781	GHANSHYAM DAS TIWARI	90	0	0
352	782	RAJNEESH TRITATHI	90	0	0
353	783	RAMESH KACHI	90	0	0
354	784	MANISH YADAV	90	0	0
355	785	ANIL YADAV	90	0	0
356	786	VIJAY MISHRA	90	0	0
357	787	RAJENDRA KUMAR RAJORIA	90	0	0

*R*

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
358	788	SMT. MUNNI BAI	90	0	0
359	789	RAJKUMAR DAHIYAT	90	0	0
360	790	RAKESH KUMAR SHARMA	90	0	0
361	791	SURESH KUMAR TIWARI	90	0	0
362	792	VISHNU RAIDAS	90	0	0
363	793	KAPTAN SINGH PATEL	90	0	0
364	794	SHAYAM MILAN	90	0	0
365	795	OMPRAKASH SHUKLA	90	0	0
366	796	VINOD KUMAR TIWARI	90	0	0
367	797	SMT. MAYA YADAV	90	0	0
368	798	SMT. INDU BAI KAHAR	90	0	0
369	799	SANJAY SONDHIIYA	90	0	0
370	800	RAJKUMAR SONI	90	0	0
371	801	PURSOTTAM SEN	90	0	0
372	802	SACHIN SHUKLA	90	0	0
373	803	NEERAJ KUMAR KASHYAP	90	0	0
374	804	QADEER AHEMD ANSARI	90	0	0
375	805	SHIVENDRA MANI TIWARI	90	0	0
376	806	RAMESH PD. TRIPATHI	90	0	0
377	807	SATYENDRA MANI SHARMA	90	0	0
378	808	BHART PAL	90	0	0
379	809	ARUN MISHRA	90	0	0
380	810	GANESH UNEHA	90	0	0
381	811	RAJENDRA PD. KUSHWAHA	90	0	0
382	812	NARESH KUMAR YADAV	90	0	0
383	813	MANOJ KUMAR SINGH	90	0	0
384	814	PREM Shankar PANDEY	90	0	0
385	816	DINESH KUSHWAHA	90	0	0
386	817	GOPAL BAHADUR THAPA	90	0	0
387	818	DEVNDRA KUMAR	90	0	0
388	819	CHABI LAL	90	0	0
389	820	SURESH KUMAR PRAJAPATI	90	0	0
390	822	SHIV BALAK KOL	90	0	0
391	823	SHAMBHOO PRASAD KANOJIY	90	0	0
392	824	RAM SHANKAR DWIVEDI	90	0	0
393	825	GANESH PRASAD PANDEY	90	0	0
394	826	RAVINDRA KUMAR TIWARI	90	0	0
395	827	ASHOK KUMAR DUBEY	90	0	0
396	828	RAMNARESH PANDEY	90	0	0
397	829	SMT. RITIYA BAI	90	0	0
398	830	SATISH YADAV	90	0	0
399	831	PRAMOD BARMAN	90	0	0
400	832	SMT. SARSWATI BAI	90	0	0
401	833	RAJENDRA KUMAR KASHYAP	90	0	0
402	834	RAJENDRA PRASAD CHOURAS	90	0	0
403	835	SHATRUGHAN PRASAD PANDEY	90	0	0
404	836	RAJBAHADUR THAPA	90	0	0
405	837	SUDHIR KUMAR SHUKLA	90	0	0
406	838	BRIJENERA PD. CHATURVED	90	0	0
407	839	ANIL KUMAR NINORIYA	90	0	0
408	840	UMESH SHUKLA	90	0	0

AMOUNT TO BE SENT IN G.S.L.I. APPLICABLE FOR CLASS III/IV EMPLOYEE  
FOR THE MONTH OF APRIL - 2023  
POL NO. 60529 W.E.F. 28-11-1988

SN	CODE	NAME OF EMPLOYEE	AMT-1	AMT-2	AMT-3
409	841	RAJENDRA PR. KANOJIYA	90	0	0
410	842	SANJAY KUMAR TIWARI	90	0	0
411	843	ASHOK BHADKE	90	0	0
412	844	MANOJ SEN	90	0	0
413	845	ARVIND SONI	90	0	0
414	846	ARUN ANTHONI	90	0	0
415	847	PRABHUNATH SINGH	90	0	0
416	848	RAJU SINGH YADAV	90	0	0
417	849	MAHENDRA PRASAD SHUKLA	90	0	0
418	850	SHASHIKANT BHARGAVA	90	0	0
419	851	RAGHUVIR PRASAD SEN	90	0	0
420	852	PRAVEEN JAISWAL	90	0	0
421	853	SARASWATI W/O MANGAL	90	0	0
422	854	NITIN CHOURE	0	0	280
423	855	PUSHPENDRA SINGH JAGET	0	0	280
424	857	YOGENDRA AGNIHOTREE	0	200	0
425	858	MANISH PANDEY	0	200	0
426	859	RAJENDRA PRASHAD KUSHWAHA	90	0	0
427	860	ABHISHEK MORY	0	200	0
428	861	KRISHAN BARMAN	0	200	0
429	862	ARUN KUMAR GOND	90	0	0
430	863	SMT. SHWETA SHRIWAS	90	0	0
431	864	SMT. ASHA MOGARE	90	0	0
432	865	SMT. SAVITA PATHARIYA	90	0	0
433	866	SMT. ANEETA RAJPUT	90	0	0
		TOTAL	20970	30600	13160

TOTAL OF CLASS I&II	12,800/-
TOTAL OF CLASS III & IV	64,730/-
GRAND TOTAL	77,530/-

SEVENTY SEVEN THOUSAND FIVE HUNDERD THIRTY ONLY

o/c  
वित्त नियंत्रक  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर (म. प्र.)



मध्यप्रदेश

# मूलभूत नियम

**M.P. FUNDAMENTAL RULES**

साथ ही

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977

म.प्र. सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम

M.P. Civil Services (Leave) Rules, 1977

M.P. Civil Services (Travelling Allowance) Rules

(भाग 1 एवं 2)

लेखक

जे.पी. श्रीवास्तव

से.नि. राज्य वन सेवा

(रिटा. सब डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर)

लेखक

श्रीनिवास पराडकर

(से. नि.) म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी

प्रकाशक

**खेत्रपाल लॉ हाऊस**

70-71, एम.जी. रोड, रामपुरावाला बिल्डिंग, इन्दौर- 452007

फोन : (दु.) (0731) 2531891, 4074750 (नि.) 4074752

(मो.) 9301-355055, 98270-37713

# मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

जिल्द-एक

विषय-मूची

विषय	नियम	पृ. सं.
भाग-एक		
अध्याय 1. प्रयुक्ति की सीमाएं		
लागू होने की तारीख -----	1	1
प्रयुक्ति की सीमा -----	2	1
मूल नियमों का क्षेत्र -----	3	2
मूल नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु यक्षम प्राधिकारी -----	4	2
विलोपित -----	5	2
विलोपित -----	5-ए	2
शक्तियों का प्रत्योजन -----	6	2
मूल नियमों के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में वित्त विभाग की सहमति -----	7	3
मूल नियमों के व्याख्या की शक्ति -----	8	3
अध्याय 2. परिभाषाएं		
परिभाषाएं -----	9	3
अधिनियम -----	9(1)	3
अलाटमेंट -----	9(1-ए)	3
औसत वेतन -----	9(2)	3
विधिवक्ता -----	9(3)	1
संबर्ग -----	9(4)	3
क्षतिपूरक भत्ता -----	9(5)	3
कर्त्तव्य -----	9(6)	3
शुल्क -----	9(6-ए)	3
बाह्य सेवा -----	9(7)	3
भागन की सामान्य राजस्व -----	9(8)	3
पानदेय -----	9(9)	3
पदग्रहण काल -----	9(10)	3
विलोपित -----	9(11)	3
अवकाश वेतन -----	9(12)	3
धारणाधिकार -----	9(13)	3
स्थानीय निधि -----	9(14)	3
सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारी -----	9(16 ए)	3
सैनिक अधिकारी -----	9(16 बी)	3
अनुसचिवीय कर्मचारी -----	9(17)	3
मास -----	9(18)	10
स्थानापन्न -----	9(19)	10

(ii)

समुद्रपार वेतन -----	9(20)	10
वेतन -----	9(21-ए)	10
स्थायी पद -----	9(22)	11
व्यक्तिगत वेतन -----	9(23)	11
किसी पद का प्रकल्पित वेतन -----	9(24)	12
विशेष वेतन -----	9(25)	12
निर्वाह अनुदान -----	9(27)	14
मौलिक वेतन -----	9(28)	14
तकनीक वेतन -----	9(29)	14
अस्थायी पद -----	9(30)	14
पदावधि पद -----	9(30)(अ)	14
समयमान वेतन -----	9(31)(अ)	14
एकरूप समयमान -----	9(31)(ब)	14
यात्रा भत्ता -----	9(32)	16
<b>पूरक नियम</b>		
वास्तविक यात्रा व्यय -----	9(32)(1)	16
प्रशिक्षु -----	9(32)(2)	17
लेखा परीक्षक अधिकारी -----	9(32)(3)	17
शिविर साधन -----	9(32)(4)	17
शिविर साज सामान -----	9(32)(5)	17
सक्षम प्राधिकारी -----	9(32)(6)	17
दिन -----	9(32)(7)	17
परिवार -----	9(32)(8)(अ एवं ब)	17
वित्त विभाग -----	9(32)(9)	18
विभाग प्रमुख -----	9(32)(10)	18
पहाड़ी स्थान -----	9(32)(11)	18
अवकाश -----	9(32)(12)	19
अवकृष्ट सेवा -----	9(32)(13)	19
परिवीक्षाधीन -----	9(32)(14)	19
लोक वाहन -----	9(32)(15)	19
प्रकृष्ट सेवा -----	9(32)(16)	19
स्थानान्तर -----	9(32)(17)	19
विभाग प्रमुखों की सूची -----		19

**भाग-दो**

**अध्याय 3. सेवा की सामान्य शर्तें**

प्रथम नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र -----	10	25
राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम -----	10-ए	25
पूरक नियम 1-प्रमाण पत्र का प्रारूप -----		26
पूरक नियम 2- चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की छूट -----		27
सेवा की सामान्य शर्तें -----	11	

एक ही पद पर दो से अधिक शासकीय सेवकों की नियुक्ति -----	12	32
धारणाधिकार का अर्जन -----	12-ए	32
धारणाधिकार का प्रतिधारण -----	13	32
धारणाधिकार का निलम्बन -----	14	33
धारणाधिकार का निलम्बन -----	14-ए	34
धारणाधिकार का निलम्बन -----	14-बी	34
कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तर -----	15ए	34
भविष्य एवं अन्य निधियां -----	16	36
तिथि जबसे वेतन एवं भत्ते प्रभावशील होंगे -----	17	37
अप्राधिकृत अनुपस्थिति की कालावधि -----	17-क	37
लगातार अनुपस्थिति का प्रभाव -----	18	38

भाग-तीन

अध्याय 4. वेतन

प्रारम्भिक वेतन निर्धारण की शक्ति -----	19	49
वेतन कब कर्तव्य पर समझा जायेगा -----	20	52
समयमान वेतन -----	21	53
समयमान वेतन पदों पर नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन -----	22	53
प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति पर वेतन का निर्धारण -----	-	56
वेतन निर्धारण -----	22-ए, 22-बी	58
परिवीक्षाधीन पर वेतन नियतन -----	22-सी	60
पदोन्नति पर वेतन निर्धारण -----	22-डी	66
पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा -----	-	72
म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 -----	-	78
तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण -----	-	81
राजपत्रित पदों पर तदर्थ पदोन्नति -----	-	83
जब किसी पद का वेतन परिवर्तित हो -----	23	84
वेतनवृद्धि -----	24	85
माह की पहली तारीख से वेतनवृद्धि -----	-	85
दक्षतावरोध पार करने की स्वीकृति -----	25	89
नियत तिथि के पश्चात् दक्षतावरोध पार करने की अनुमति देने पर -----	-	90
अगली वेतन वृद्धि की पात्रता		
दक्षतावरोध पार करने की स्वीकृति एवं स्थायीकरण के लिए गोपनीय -----	-	90
प्रतिवेदन देखना		
वेतन वृद्धि हेतु गणना में ली जाने वाली सेवा -----	26	92
वेतनमान में समयपूर्वक वेतनवृद्धि -----	27	98
परिवार कल्याण कार्यक्रम के लोकप्रिय बनाने हेतु नसबन्दी कराने पर -----	-	99
डिग्री/डिप्लोमा के संदर्भ में अग्रिम वेतन वृद्धि -----	-	106
अर्हता प्राप्त निम्न श्रेणी लिपिकों/मुद्रलेखकों को अग्रिम वेतन वृद्धि -----	-	109
निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता -----	-	109
नियत वेतन पर बगैर टायपिंग परीक्षा पास नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों		

को मुद्रलेखन परीक्षा से छूट -----	110
लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि -----	113
म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि -----	119
न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरूप वेतन वृद्धि 105	119
निम्न पद/श्रेणी में प्रत्यावर्तन पर वेतन -----	28 120
कदाचार या अयोग्यता के कारण निम्न पद पर पदावनत होने पर वेतन वृद्धि -----	29 121
के लिए पूर्व सेवा की गणना -----	29-ए 123
आदेश निरस्त होने पर वेतन निर्धारण -----	30 125
स्थानापन्न शासकीय सेवक को बढ़ा हुआ वेतन -----	जी.आई.ओ. 126
अगला नीचे का कर्मचारी नियम -----	31 130
जब शासकीय सेवक का स्थानापन्न वेतन, मौलिक वेतन से कम हो -----	31-ए 134
गलत पदोन्नति पाये जाने पर वेतन निर्धारण -----	33 138
पद का स्थानापन्न वेतन जिसका वेतन वैयक्तिक है -----	35 138
स्थानापन्न वेतन निम्न पद पर निर्धारित करने की शक्ति -----	36 139
शासकीय सेवक जो प्रशिक्षण इत्यादि पर है के स्थान पर स्थानापन्न पदोन्नति ---	37 139
वैयक्तिक वेतन समाविष्ट होगा -----	38 139
विधान मण्डलों के शासकी सदस्यों का वेतन -----	39 139
अस्थाई पद का वेतन जो ऐसे व्यक्ति से भरा जाये जो पहले से शासकीय सेवा में नहीं है -----	40 139
अस्थाई पद का वेतन जो शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति से भरा गया है -----	43 140
भारतीय सिविल सेवा के सदस्य अथवा सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी को निर्वाह अनुदान -----	

#### अध्याय 5. वेतन के परिवर्धन

क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी -----	44 142
शासन द्वारा स्वीकृत विभिन्न प्रकार के भत्ते -----	145
राज्य के कर्मचारियों को देय गृह भाड़ा भत्ता -----	145
(1) पुलिस विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया -----	155
(2) पुलिस विभाग तथा वन विभाग के कर्मचारियों को मकान किराया -----	155
(3) वाहन भत्ता -----	155
(4) मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में पदस्थ कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की स्वीकृति -----	156
(5) पंचमढ़ी भत्ता -----	156
(6) लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी को भत्ता -----	157
(7) परिवहन/वाहन भत्ता -----	157
(8) विकलांग भत्ता -----	157
(9) कैशियर पद पर कार्य का भत्ता -----	157
(10) पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता -----	157
(11) सायकल भत्ता -----	157
(12) सचिवालय भत्ता -----	157
(13) पौष्टिक आहार भत्ता -----	158
(14) शीघ्र लेखकों को दो भाषा में कार्य करने का भत्ता -----	158
(15) परियोजना भत्ता -----	159

(16) वर्दी भत्ता -----	159
(17) चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस भत्ते की पुनरीक्षित दर -----	159
(18) चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को निजी प्रेक्टिस की छूट	160
(19) चिकित्सा शिक्षकों को अव्यवसायी भत्ता -----	161
(20) फोटो कापियर को विशेष वेतन/भत्ता -----	161
(21) वर्दी धुलाई भत्ता -----	161
(22) शासकीय कर्मचारियों की कन्याओं के वोकेशनल शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु लिये ऋण पर व्याज अनुदान -----	161
(23) -----	162
(24) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता -----	162
(25) विषय- उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहर भत्ते का पुनरीक्षण	162
(26) सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीशों का देय भत्तों की संशोधित दरें	162
(1) कोषालयों/उप-कोषालयों में कार्यरत मुद्रांक लिपिकों एवं कैशियर्स को नगदी भत्ता -----	163
(2) विभिन्न विभागों के कैशियर्स को नगदी भत्ता -----	163
(3) अंग्रेजी शीघ्र लेखकों/मुद्रलेखकों एवं स्टेनो टायपिस्टों को हिन्दी मुद्रदेखन एवं मुद्रलेखन प्रशिक्षण क्षतिपूर्ति भत्ता -----	164
- शासकीय आवासों की व्यवस्था ----- 45	164
- लायसेन्स शुल्क का निर्धारण एवं वसूली ----- 45-ए	165
- लायसेन्स शुल्क का निर्धारण एवं वसूली ----- 45-बी	172
- लायसेन्स शुल्क की वसूली में प्रयोजनार्थ उपलब्धियां ----- 45-सी	182
शुल्क ----- 46-(अ)	183
मानदेय ----- 46-(ब)	183
शुल्क तथा मानदेय ----- 46-(स)	185
सिविल सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के मानदेय अथवा शुल्क ----- 46-(ए)	185
मानदेय स्वीकृति के लिए नियम बनाने की शक्ति ----- 47	186
बगैर स्वीकृति अतिरिक्त पारिश्रमिक कब स्वीकार्य ----- 48	192
स्थानीय शासन की अनुमति ----- 48-ए	192
भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 -----	197
<b>अध्याय 6. नियुक्तियों का संयोजन</b>	
- दो या अधिक पदों पर शासकीय सेवकों की नियुक्ति पर वेतन तथा भत्ते -	235
- Arrangement for holding current charge of the duties of a post by another officer during the absence of the regular incumbent of the post	235
- उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु देय दोहरा कार्य भत्ता -----	236
<b>अध्याय 7. भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति</b>	
भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति ----- 50,51,51ए	240
<b>अध्याय 8. पदच्युति, पृथक्करण तथा निलम्बन</b>	
पदच्युत या पृथक्कृत शासकीय सेवक के वेतन एवं भत्ते ----- 52	245
निलम्बित शासकीय सेवक के वेतन एवं भत्ते ----- 53	245
जीवन निर्वाह भत्ते से वसूलियां -----	248

(vi)

विषय-सूची

बहाल होने पर वेतन एवं भत्ते -----	54, 54-ए, बी	249
निलम्बित शासकीय सेवक को अवकाश -----	55	263
राज्य शासन अनुदेश -----		263
शासकीय सेवकों को सेवा से हटाये जाने के बाद उसकी पुनः नियुक्ति की प्रक्रिया		263
<b>अध्याय 9. अनिवार्य सेवा निवृत्ति</b>		
अधिवार्षिकी आयु -----	56	269
म.प्र. शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम 2011 -----		270
म.प्र. शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2007 -----		275
मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2013 -----		279
<b>भाग - चार</b>		
<b>अध्याय 10. अवकाश (कृपया देखें मध्यप्रदेश अवकाश नियम)</b>		334
<b>अध्याय 11. पदग्रहण काल -----</b>		334
मध्यप्रदेश सिविल सेवार्ये (पदग्रहण काल) नियम, 1982 -----		335
<b>भाग-सात</b>		
<b>अध्याय 12. बाह्य सेवा</b>		
बाह्य सेवा नियम-प्रभावशीलता -----	109	340
शासकीय सेवक को बाह्य सेवा में स्थानान्तरित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी -----	110	341
बाह्य सेवा में स्थानान्तर कब अनुज्ञेय -----	111	342
अवकाश पर रहने बाह्य सेवा में स्थानान्तर -----	112	343
बाह्य सेवा में स्थानान्तरित शासकीय सेवक का धारणाधिकार -----	113	344
तारीख जब से बाह्य नियोजक द्वारा वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाना है --	114	344
विलोपित -----	115	347
विलोपित -----	116	350
पेंशन तथा अवकाश वेतन देने का शासन का दायित्व -----	117	350
अंशदान पर ब्याज -----	119	351
अवकाश तथा पेंशन अंशदान की वापसी -----	120	352
बाह्य नियोक्ता से पेंशन ग्रेच्युटी स्वीकार्य नहीं -----	120	352
भारत में बाह्य सेवा के दौरान अवकाश -----	122	352
भारत से बाहर विदेश सेवा में गये शासकीय सेवक को अवकाश -----	123	352
बाह्य सेवा शासकीय सेवक का वेतन जब वह शासकीय सेवा में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया जाता है -----	124	352
नियुक्त किया गया जाता है		
बाह्य सेवा से प्रत्यावर्तन की तारीख -----	125	353
बाह्य सेवा से प्रत्यावर्तन पर वेतन तथा भत्ते -----	126	353
नियमित स्थापना, जिसकी लागत का भुगतान शासन को किया जाना है -----	127	353
बाह्य सेवा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शासनादेश -----		355
<b>अध्याय 13. स्थानीय निधि के अन्तर्गत सेवा</b>		
<b>(विलोपित) -----</b>		
<b>अपेन्डिक्स-II. अधिकारों का प्रत्यायोजन -----</b>		379
		380

जे.पी.  
श्रीवास्तव

मध्यप्रदेश

# मूलभूत नियम

Madhya Pradesh

## Fundamental Rules



**KATARIA  
LAW HOUSE**

LAW BOOK SELLERS & PUBLISHERS  
11, Collectorate Road, Jabalpur (M.P.)  
Mobile : 94253-25099, 89626-24004

दौर



RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)  
(Formerly University of Jabalpur)



All Communications should be addressed to 'The Registrar' and not to any officer by name. The No and date of previous correspondence on the subject if any, should invariably be given otherwise it will be difficult to take any action.

FAX: 0761-2603752  
Tele. : Office : 2600785  
Resl. : 2602606  
EPABEX : 2600567, 8, 9  
E-mail ID:- Storerdv@gmail.com

क्र०/भ०/2021/49

कार्यादेश

Date 23/12/2021

प्रति,

भ०प्र० राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित  
क्षेत्रीय कार्यालय, बल्देवबाग, जबलपुर


विषय:- गर्म कोट की आपूर्ति संबंधी कार्यादेश।


आपके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10.08.2021 के संदर्भ में प्रस्तुत दर सूची अनुसार दर मान्य की जाती है यथा:-

क्र०	विवरण	कर्म० संख्या	दर	कुल
1	गर्म कोट/ऊलन सलूका (सुपीरियर) HSN COAD NO. 6103 3100	अप्रि 266	1395	371070
कुल				371070
कर अतिरिक्त				

नोट:- कर्मचारियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

उपरोक्तानुसार सामग्री की आपूर्ति करें तथा तीन प्रतियों में देयक कुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नाम प्रेषित करें। देयक में बैंक खाता नंबर एवं आई०एफ०एस०सी० कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें।

  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर

  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर

**RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)**  
(Formerly University of Jabalpur)



All communications should be addressed to 'The Registrar' and not to any officer by name. The No. and date of previous correspondence on the subject, if any, should invariably be given otherwise it will be difficult to take any action.

From :  
Registrar  
Rani Durgavati Vishwavidyalaya,  
Jabalpur

FAX: 0761-2603752  
Tele. Office 2600785  
Resi 2602606  
EPABEX: 2600567, 8, 9  
E-mail ID: Storerdyv@gmail.com

क्रमांक/बंडार/2019/18

प्रत्य आदेश।

दिनांक 27/04/2019

प्रति.

मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित  
क्षेत्रीय कार्यालय पत्रकार भवन के सामने बल्दयबाग, जबलपुर


विषय:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु वर्दी की आपूर्ति संबंधी क्रय-आदेश।


मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित के स्वीकृत दर अनुसार निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति  
करे :-

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि
1	पुरुष वर्दी पेंन्ट शर्ट कपड़ा दिये गये सेम्पल अनुसार 250 कर्मचारी (प्रति व्यक्ति दो सैट 250X2)	500	536 रु. प्रति जोड़ी	268000/-
2	महिला वर्दी साड़ी, पेंटीकोट, ब्लाउज कपड़ा दिये गये सेम्पल अनुसार 27 महिला कर्मचारी (प्रति महिला दो सैट 27X2)	54	638 रु. प्रति सैट	34452/-
योग				302452/-
GST अतिरिक्त				

(शब्दों में तीन लाख दो हजार चार सौ बावन रुपये मात्र) GST अतिरिक्त

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सामग्री प्रदाय कर तीन प्रतिशत में हेयक कल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को प्रेषित करें।

  
26/04/19  
Rani Durgavati Vishwavidyalaya

  
26-04-19  
Rani Durgavati Vishwavidyalaya  
Jabalpur

विल नं 1361

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)  
(Formerly University of Jabalpur)



All Communications should be addressed to The Registrar and not to any officer by name. The No. and date of previous correspondence on the subject if any, should invariably be given otherwise it will be difficult to take any action.

FAX: 0761-2603752  
Tele. : Office : 2600785  
Resi. : 2602606  
EPABEX : 2600567, 8, 9  
E-mail ID:- Storerdv@gmail.com

क्र०/भ०/2021/418

कार्यादेश

Date 23/12/2021

प्रति,

म०प्र० राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित  
क्षेत्रीय कार्यालय, बल्देवबाग, जबलपुर


विषय:- गर्म कोट की आपूर्ति संबंधी कार्यादेश।


आपके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 10.08.2021 के संदर्भ में प्रस्तुत दर सूची अनुसार दर मान्य की जाती है यथा:-

क्र०	विवरण	कर्म० संख्या	दर	कुल
1	गर्म कोट / ऊलन सलूका (सुपीरियर) HSN COAD NO. 6103 3100	अनु 266	1395	371070
			कुल	371070
			कर अतिरिक्त	

नोट:- कर्मचारियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

उपरोक्तानुसार सामग्री की आपूर्ति करें तथा तीन प्रतियों में देयक कुलसचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के नाम प्रेषित करें। देयक में बैंक खाता नंबर एवं आई०एफ०एस०सी० कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें।

  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर

  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर

**रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर**

क्रमांक / स्था/ 2019 / 345

जबलपुर, दिनांक 24/6/19

**अधिसूचना**

विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र के अन्तर्गत संचालित Day Care Center के सुचारु संचालन हेतु माण कुलपति जी द्वारा समिति का गठन किया जाता है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं। यथा-

1. अजना शर्मा आचार्य बायोसाइंस विभाग
2. डॉ. ममता राव आचार्य विधि विभाग
3. डॉ. सुरेन्द्र सिंह आचार्य बायोसाइंस विभाग
4. डॉ. राजन्य श्रीवारदाय विकिल्सा अधिकारी हेल्थ सेक्टर
5. डॉ. राजेश्वरी राणा महिला अध्ययन केन्द्र

*Signature*  
24/6/19

आदेशानुसार  
*Signature*  
13.6.19

कुलसचिव  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर।

जबलपुर, दिनांक 24/6/19

क्र.क / स्था/ 2019 / 348 अ

**प्रतिलिपि सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. उपरोक्त सम्माननीय सदस्यगण, रा.दु.वि.वि. जबलपुर,
2. कुलपति जी / कुलसचिव जी :- निज सहायक रा.दु.वि.वि. जबलपुर
3. संबंधित नरती।

*Signature*  
20/6/19

o/c

*Signature*  
20/6/19

*Signature*  
20/6/19

नीलम  
20-6-19

*Signature*  
20/6/19

सहायक कुलसचिव (स्था)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर।



**ADMISSION  
OPEN**

# **DAY CARE CENTRE**

**RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA  
JABALPUR (M.P.)**

## **Day Care Details**

Age : 1 Year to 8 yrs.

Timing : 10 am. to 5.30 pm.

Monday to Saturday

Address : Front of Kasturaba Woman's Hostel, Saraswati Vihar  
Pachpedi, Jabalpur, Madhya Pradesh 482001

**Contact : 94251-63367, 93028-79938**

Home **Away** From Home ....






## Day Care Center



## Health Care Center





# Women's Studies & Research Centre

Rani Durgavati Vishwavidhyalaya, Jabalpur (M.P.)



## Mission & Vision

Our endeavour is to discover, develop & transform women into skilled & empowered women of tomorrow.

## Courses Offered

Courses	Duration	Eligibility	Fees
• Certificate Course in Women Empowerment and Development (D'WED)	3 Months	12 <sup>th</sup> Pass (10+2)	1200/-
• PG Diploma in Gender Studies and Development	01 Year (2 Sem.)	Graduation	5000/-

A Wide range of topics and short term courses are being covered under Women's Studies & Research Centre

### GOOD HOUSE KEEPING

- Interior Designing
- Nutrition & Cooking
- Table Setting
- Social & Dining Etiquette
- Flower Arrangement
- Budgeting & Home Management

### PERSONALITY DEVELOPMENT

- Confidence Building & Self Esteem
- Communication Skills
- Time Management
- Women Safety
- Life Skills
- Environment & Biodiversity

### BEAUTY & HEALTH

- Yoga & Meditation
- Personal Grooming (Skin & Hair Care)
- Hygiene

### HOBBIES

- Vocal Music & Dance
- Flower Making
- Floriculture

### SKILLS

- Mushroom Cultivation
- Bonsai Technique
- Driving
- Creche Management
- Nursery Management

### Extension Activities

- Studies in Gerontology
- Documentation & Field Studies



EMPOWERING WOMENHOOD THROUGH SKILL ENHANCEMENT

For Details Contact Phone No : 8989003012, 9425163367

**WOMEN'S STUDIES & RESEARCH CENTRE**

In-front of Kasturba Girls Hostel, Rani Durgavati Vishwavidhyalaya, Jabalpur (M.P.) Website : [www.rdunijbpin.org](http://www.rdunijbpin.org)

**Admissions**  
are  
**Open**  
for all courses



## Gym Facilities






Google

**Jabalpur, Madhya Pradesh, India**  
5X6G+4PX, Rani Durgavati University Campus,  
Jabalpur, Madhya Pradesh 482001, India  
Lat 23.160694° Long 79.976827°  
GMT +05:30


GPS Map Camera



Google

**Jabalpur, Madhya Pradesh, India**  
5X6G+4PX, Rani Durgavati University Campus, Jabalpur, Madhya  
Pradesh 482001, India  
Lat 23.160789° Long 79.976794°  
GMT +05:30

GPS Map Camera



Google

**Jabalpur, Madhya Pradesh, India**  
5X6G+4PX, Rani Durgavati University Campus, Jabalpur, Madhya  
Pradesh 482001, India  
Lat 23.160696° Long 79.976831°  
GMT +05:30

GPS Map Camera

# Sports Facilities

## Basket Ball Court



## Hand ball Court



## Weightlifting / Power lifting



## Badminton Court



## Kabaddi Clay Court



## Kabaddi Mat Court



## Track and Field



## Wrestling Hall



## Football Ground

